न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– सौरभ स्वामी आई.ए.एस.

अपील प्रकरण संख्या :– 001/2019

1. रामजस पुत्र श्री चन्दूलाल जाति जाट निवासी साहुवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. राकेश कुमार } पिसरान रामकुमार जातियान सोनी निवासी चक 28 जी.जी. तहसील
3. लच्छीराम } व जिला श्रीगंगानगर।

– – अपीलान्ट

–:: बनाम ::–

1. ग्राम पंचायत, चक मनफुलसिंह वाला जरिये सरपंच

– – रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम 1954

–:: उपस्थित ::–

1. श्री मोहनलाल माहर अधिवक्ता — अपीलान्ट
2. सरपंच ग्राम पंचायत मनफुलसिंह वाला — रेस्पोडेन्ट

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 15.01.2019

अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध इन्तकाल नम्बर 292 दिनांक 05.12.2018 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलाधीन आदेश विधि विरुद्ध प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों विपरीत एवं बिना क्षेत्राधिकार के पारित किया गया है। नकल प्रमाणित प्रति संलग्न अपील है।

वाके चक 15 एल.एन.पी. –1 के गुरब्बा नम्बर 11 में 2.104 हैक्टर कृषि भूमि राजेन्द्र पुत्र श्री बलराम के नाम से खातेदारी दर्ज थी जिसमें अपीलार्थीगण को सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर प्रश्नगत कृषि भूमि का बैयनामा दिनांक 12.06.2018 को निष्पादित कर मौके पर कब्जा भौतिक रूप से सौप दिया गया था। बैयनामा दिनांक 12.05.2018 व कब्जा प्राप्ति के अधार पर हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 12.11.2018 को ईन्तकाल दर्ज कर गिरदावर के समक्ष प्रस्तुत किया जो अंकन सही होने पर ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 21.11.2018 में प्रस्तुत किया गया किन्तु सरपंच द्वारा द्वेषतापूर्वक आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का आदेश दिया। आगामी बैठक दिनांक 05.12.2018 में ईन्तकाल स्वीकृत किया जाता है। किन्तु तत्पश्चात् सरपंच ने अपने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग कर स्वीकृति से पूर्व "अ शब्द अंकित कर ईन्तकाल को अस्वीकृत किया जाता है" का नोट लगा दिया। तत्पश्चात् आगामी बैठक में प्रस्तुत करें का नोट भी अंकित कर दिया जिसके विरूद्ध अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत हैरू

(क) यह कि अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध रूप से दुर्भभावना पूर्वक पारित किया गया है। ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 05.12.2018 में ई–काल स्वीकृत किया गया था किन्तु बाद में जान–बुझकर सरपंच द्वारा स्वीकृति से पूर्व अ शब्द अंकित कर अस्वीकृत किया जाता है का नोट अंकित कर दिया गया जो कि न केवल सरकारी पद का दुरुपयोग किया गया बल्कि राजकीय दस्तावेज में कांट–छांट भी की गई है। इसलिये अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

लगातार 2

(5) यह कि अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय रूप से बिना अपीलार्थीगण को किसी सूचना एवं नोटिस के पारित किया गया आदेश है कि प्राकृतिक राय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

(6) यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी आज्ञापक प्रावधानों की पालना किए आदेश पारित किया गया है, भू–राजस्व अधिनियम की कतई पालना नही की गई जबकि मौके पर कृषि भूमि का अन्तर मय कब्जा के किया जाता है तो राजस्व रिकार्ड में भी राजस्व वसूली हेतु अन्तरण किया जाना चाहिए था।

(7) यह कि अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जबकि पंचायत की मिटिंग में सर्वसम्मति से जब एक बार ईन्तकाल स्वीकृत किया जा चुका हो तो पुनः किसी कानूनी प्रावधानों की पालना किए अस्वीकृत नही किया जा सकता।

अन्य तथ्य बरवक्त बहस अर्ज किये जायेंगें जिनके आधार पर अपील स्वीकार्य योग्य है। अपील श्रीमान जी के सुनवाई योग्य , क्षेत्राधिकार एवं उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है।

अतः अपील अपीलार्थीगण मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलाधीन आदेश ईन्तकाल संख्या 292 दिनांक 05.12.2018 को निरस्त कर ईन्तकाल स्वीकृत करने के आदेश फरमाया जाये तो जनाब की मेहरबानी होगी।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिऐ रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उपस्थित आये ग्राम पंचायत का रिकार्ड (बैठक कार्यवाही रजिस्टर) प्रस्तुत किया गया।

उभयपक्ष की बहस को सुना गया दौरानें बहस अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा अपने अपील के बिन्दूओं को दोहराते हुए अपील अपीलान्ट को स्वीकार कर नामान्तरणकरण स्वीकार करनें हेतु निवेदन किया गया।

रेस्पोडेन्ट द्वारा दौरानें बहस कथन किया गया कि अपील अपीलान्ट तथ्यहीन आधारों पर दर्ज की गई है बैठक दिनांक 05.12.2018 में पूर्ण कार्यवाही कर बैठक में सर्वसम्मति से नामान्तरकरण संख्या 292 को निरस्त का आगामी बैठक में पुनः प्रस्तुत करनें हेतु सम्बंधित हल्का पटवारी को आदेशित किया गया है अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होनें के कारण खारिज फरमाई जावे।

–:: आदेश ::–

हमने समायत बहस पर मनन किया एंवम् पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का गहन अवलोकन किये जानें पर पाया कि ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण संख्या 292 को विधि विरूद्ध निरस्त किया गया है

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कि जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है, कि वे ग्राम पंचायत चक मनफुलसिंह वाला द्वारा निरस्त किये गये नामान्तरकरण संख्या 292 के सन्दर्भ में पुनः नियमानुसार कार्यवाही कर नामान्तरकरण करनें की कार्यवाही करना सुनिश्चत करे।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर एंवम ग्राम पंचायत चक ~~......~~ मनफुलसिंहवाला ~~......~~ को भिजवाते हुए ग्राम पंचायत का रिकार्ड भी वापिस ग्राम पंचायत को भिजवाया जावे।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 15.01.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सौरभ स्वामी)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
पदेन सहायक कलक्टर